सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 1848/2017

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

रतन पुत्र चतुरभुज लोधा निवासी लोधो का झोपडा (चिकल्या) तहसील सावर जिला अजमेर।

वादीगण

बनाम

1. गोपाल पुत्र रामा लोधा
2. नाथू पुत्र कल्याण लोधा
3. भूरा पुत्र मांगीलाल लोधा
4. हरचन्द पुत्र जग्ग लोधा निवासी लोधो का झोपडा (चिकल्या) तहसील सावर जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सावर जिला अजमेर

प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–

1. मगनलाल लोधा एडवोकेट वादी
2. पैरोकार सरकार जर्ये तहसीलदार सावर तह.सावर जिला अजमेर

निर्णय दिनांकः– 04/05/2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वाद ग्रस्त की भूमि वाके ग्राम/कस्बा चिकल्या तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता नम्बर 1 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 133,136,137,241, कुल किता 4 कुल रकबा 1.62 है. का प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत जमाबन्दी में नामान्तकरण स. 929 दिनांक 25.5.15 से जर्ये डिक्री वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार कृषक घोषित करने से नामान्तकरण अंकन गैर खातेदारी दर्ज होना स्वीकार कर दर्ज नोट है। वादी ने वादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी हेतु वादी ने दावा पेश किया है वादग्रस्त भूमि खातेदारी की आराजी है जिसमें प्रतिवादी का कोई हक हिस्सा आदि किसी प्रकार का सरोकार नहीं है। किन्तु प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी के पडोसी खातेदार है जो वादग्रस्ता आराजी की सीमाओं को लेकर आये दिन लडाईझगडे करते रहते है। लैण्डलार्ड (भूमि का मालिक) होने से प्रतिवादी को पक्षकार बनाया गया है। वादी वादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी कराना चाहता है। अतः वादी का दावा स्वीकार फरमाया जावें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी की तलबी की गयी । प्रतिवादी को जवाब पेश करने हेतु दिनांक 23.11.2017 से 21.3.18 तक का समय दिया गया जो कि 90 दिन से अधिक समय हो जाने पर भी जवाब पेश नहीं किया है। लिहाजा प्रतिवादी का जवाब बन्द कर प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी । संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है ।

बहस के दौरान वकील वादी ने वादग्रस्त तथ्यों का बखान करते हुये निवेदन किया कि वादी की वाद ग्रस्त की भूमि वाके ग्राम/कस्बा चिकल्या तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता नम्बर 1 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 133,136,137,241, कुल किता 4 कुल रकबा 1.62 की पत्थरगढी हेतु वादी ने दावा पेश किया है वादग्रस्त भूमि खातेदारी की आराजी है। वादग्रस्त आराजी में वादी के अलावा अन्य किसी का कोई हक हिस्सा या अन्य सरोकार नहीं है। वादी की स्वयं की आराजी की पत्थरगढी कराना चाहता है।जिसे स्वीकार फरमाने की प्रार्थना वादी के अधिवक्ता ने की है।

प्रतिवादी 1 से 1 5 को जवाब हेतु समय दिया गया जिसमें 90 दिन पश्चात भी जवाब पेश नहीं किया गया लिहाजा प्रतिवादी 1 से 5 1 का जवाब बन्द कर बहस एक तरफा सुनी गयी। बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि वादी अपनी स्वयं की आराजी की पत्थरगढी कराना चाहता है। वादग्रस्ता आराजी वादी की स्वयं की खातेदारी की आराजी है तथा वादग्रस्त आराजी बडोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक मेहरूकंला में रहन दर्ज है। वादग्रस्त आराजी वादी की खातेदारी में होने से पत्थरगढी किये जाने में प्रतिवादी को कोई एतराज नहीं है।

हमने वाद पत्र का अवलोकन किया उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया । जिसमें वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी होने से वादी का प्रेमाफैसाई केस होना पाया जाता है। वाद पत्र का संतुलन भी वादी के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का ग्राम लोधो का झोपडा (चिकल्या) तहसील सावर के वादग्रस्त भूमि के जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता नम्बर 1 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 133,136,137,241, कुल किता 4 कुल रकबा 1.62 भूमि का पत्थरगढी किये जाने हेतु स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार सावर को वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी किये जाने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार शुल्क जमा कर वादग्रस्त भूमि पत्थरगढी कर मौका रिपोर्ट (पालना)मय मौका पर्चा नजरी नक्शा के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनाक 4/5/2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (केकड़ी)